यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड- प्रथम, खटीमा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड- प्रथम, खटीमा** के माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, एवं श्री रमेश कुमार केशरी, एवं श्रीमती रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.12.2018 से 26.12.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल एवं श्री पी.के.गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.06.2018 से 18.06.2018 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः खटीमा, चकरपुर, मेलाधार, झनकर।**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (₹ लाख में) |
|---|---|
| 2015-16 | 386.25 |
| 2016-17 | 400.82 |
| 2017-18 | 229.50 |

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)** | | **स्थपना** | | **गैर स्थापना (` लाख में)** | | **आधिक्य** | **बचत** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्थापना** | **गैर स्थापना** | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** | | |
| 2015-16 | | | | | | | | |
| 2016-17 | | | | | लागू नहीं | | | |
| 2017-18 | | | | | | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| लागू नहीं | | | | | |

**(iii) इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

**(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

**सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी**

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड- प्रथम, खटीमा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :**

**राजस्व: - 03/2016, 10/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

**व्यय: - ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

**(vii)** योजना का चयन :- शून्य

**(Viii)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग दो (ब)**

**प्रस्तर- 01 कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ` 3.83 लाख**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 4(2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा। पुनः उत्तराखंड शासन के पत्र 97/2015/181(120) XXVII(8)/08 दिनांक 20.01.2015 के द्वारा अनुसूची II (ख) क्र0सं0 122 वुडन क्रेट प्रविष्टि को हटा दिया गया है।

सहायक आयुक्त (क0नि), राज्य कर, खंड -01, खटीमा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री कुमाऊ पैकवेल इंडस्ट्रीज, खटीमा टिन सं 05002684888 द्वारा वर्ष 2014-15 मे कुल बिक्री `1,44,24,376 की किया जाना घोषित किया गया था। जिसमे प्रांतीय बिक्री प्रपत्र-11 रियायती दर से `1,21,08,155 एवं 5% की दर से `23,16,221 की घोषित किया गया। व्यापारी द्वारा 06 प्रपत्र-11 `1,20,56,943 के ही प्रस्तुत/संलग्न किए गए थे जिससे `51,211 (`1,21,08,155 - `1,20,56,943) के प्रपत्र-11 कम थे। अतः उक्त पर 11.5 (13.5-2) प्रतिशत की दर से `5,889 (51,211 x 11.5%) का कर और आरोपणीय था। उक्त के अलावा यह भी पाया गया कि कि व्यापारी वुडेन से निर्मित पैकिंग मैटेरियल की बिक्री दिनांक 20.01.2015 के बाद `6,38,405 की गयी थी। जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व स्वीकार किया गया था तथा जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। जबकि उक्त धनराशि पर 13.5 प्रतिशत की दर कर आरोपित किया जाना चाहिए। अतः अंतरीय कर `54,264 (`6,38,405 x 8.5%) व्यापारी पर आरोपणीय था। इस प्रकार कुल कर `60,153 ( ₹5,889 + ₹54,264) व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उपरोक्त व्यापारी के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण स्वतः कर निर्धारण योजना के अंतर्गत किया गया था। व्यापारी द्वारा कुल प्रान्तीय बिक्री ` 1,56,27,383 की घोषित की गयी थी। जिसमे से `1,33,13,300 की बिक्री प्रपत्र-11 के विरुद्ध, `21,55,718 की बिक्री 5 प्रतिशत की दर से एवं `1,58,365 की बिक्री 13.5 प्रतिशत की दर किया जाना घोषित किया गया था। केंद्रीय बिक्री `5,80,500 किया जाना घोषित किया गया था। प्रपत्र-11 से की गयी बिक्री के संबंध मे केवल ₹1,26,31,693 (07 प्रपत्र) ही संलग्न किए गए थे। अंतरीय बिक्री `6,81,607 (`1,33,13,300 -` 1,26,31,693) के संबंध मे प्रपत्र-11 संलग्न/प्रस्तुत नहीं किये गये थें। अतः उक्त बिक्री पर अंतरीय कर 10.5 (13.5-3) प्रतिशत की दर से कर `71,569 (6,81,607 x 10.5%) व्यापारी पर और आरोपणीय था। `21,55,718 की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था जबकि बिक्री 5% की दर से की गयी थी। अतः अंतरीय दर 8.5 प्रतिशत से `1,83,236 (21,55,718X8.5%) कर व्यापारी पर आरोपणीय था। केन्द्रीय बिक्री के संबंध मे फार्म-सी संलग्न/प्रस्तुत नहीं था। अतः

अंतरीय कर 11.5% (13.5% - 2%) की दर से कर `66,758 (`5,80,500 x 11.5%) व्यापारी पर और आरोपणीय था। इस प्रकार कुल कर `3,21,563 (`71,569 +` 1,83,236 +` 66,758) व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही करके अवगत कराये जाने का आश्वासन किया गया। अत: ₹3.8. लाख (₹321563 + ₹60153) की राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**<u>भाग-2 (ब)</u>**

**प्रस्तर-02 स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.04 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 (1) के सारणी क्रमांक 1 के अनुसार, ऐसे ब्यौहारी जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में ` 50 लाख से अधिक का आवर्त रहा है, वह **कर**, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक जमा करेगा ।

अधिसूचना संख्या 327/2014/181(120)/ XXVII(8)/08 दिनांक 26.03.2014 के द्वारा वर्ष 2014-15 से **कर**, समाधान धनराशि, विलम्ब शुल्क, ब्याज अथवा स्रोत पर कटौती का भुगतान मासिक, ई-पेमेन्ट द्वारा उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक जमा करेगा ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया गया है, तो वह ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, यह निर्देश दे सकता है कि ऐसा ब्यौहारी या व्यक्ति उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये तक हो, और देय कर का पचास प्रतिशत, यदि कर दस हजार रूपये से अधिक हो, उल्लिखित धनराशि का भुगतान करेगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-प्रथम, राज्य कर, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **<u>संलग्नक-'क'</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है । अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा-58(1)(vii) के अनुसार ` 1,03,849 अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही कर अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः स्वीकृत कर विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.04 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

***संलग्नक*** – "***क***"

# देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

| क्रम सं0 | ब्यौहारी का नाम | कर निर्धारण वर्ष | माह | कर की राशि (`) | कर जमा करने की निर्धारित तिथि | कर जमा करने की वास्तविक तिथि | विलम्ब | अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सर्वश्री खिण्डा मेडिकल स्टोर, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) (टिन नं0 05002680814) | 2016-17 | चतुर्थ तिमाही | 20,000 | 20.04.2017 | 01.06.2017 | 1 माह 11 दिन | 2,000 |
| | | | | 57,428 | 20.04.2017 | 05.10.2017 | 5 माह 15 दिन | 5,743 |
| 2. | सर्वश्री ओली इण्टरप्राईजेज, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) (टिन नं0 05006406972) | 2013-14 | प्रथम तिमाही (06/2013) | 63,975 | 25.07.2013 | 29.07.2013 | 4 दिन | 6,398 |
| | | | द्वितीय तिमाही | 1,83,413 | 25.10.2013 | 12.11.2013 | 18 दिन | 18,341 |
| 3. | लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी | 2013-14 | चतुर्थ तिमाही | 2,51000 | 20.04.2014 | 26.04.2014 | 6 दिन | 25,100 |
| 4. | संदीप ट्रेडर्स ,खटीमा | 2012-13 | अप्रैल 2012 | 89,510 | 25.05.2012 | 29.05.2012 | 4 दिन | 8,951 |
| | | | नवंबर 2012 | 47,396 | 25.12.2012 | 31.12.2012 | 6 दिन | 4,739 |
| | | | दिसम्बर 2012 | 1,11,537 | 25.01.2013 | 28.01.2013 | 3 दिन | 11,153 |
| | | | जनवरी 2013 | 1,08,670 | ------- | ---------- | चालान पर तिथि अंकित नहीं | 10,867 |
| | | | फरवरी 2013 | 1,05,573 | 25.03.2013 | 30.03.2013 | 5 दिन | 10,557 |
| | | | | | | | **योग** | **1,03,849/-** |

## भाग–दो "ब"

**प्रस्तर. 3 – खरीद बिक्री में अन्तर (छुपी बिक्री) के कारण कम आरोपित कर ₹1.13 लाख।**

**कार्यालय** सहायक आयुक्त(क0नि0)–1, राज्यकर, खटीमा के माह 04/2015 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान सर्वश्री शिवा ट्रेडर्स खटीमा कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण वाद में उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25 (7) के अन्तर्गत सीमेंन्ट की कुल बिक्री ₹1,10,85,174.00 पर ₹14,67,205.00 **का** कर **निर्धारित** किया गया।

आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि सीमेंन्ट के आरम्भिक स्टाक,क्रय, अन्तिम स्टाक, बिक्री में निम्नवत अन्तर **पाया गया-**

| | |
|---|---|
| आरम्भिक स्टाक | ₹8,06,802.00 |
| वर्ष में खरीद | ₹1,11,78,402.00 |
| योग | ₹1,19,85,204.00 |
| (–) अन्तिम रहतिया | ₹5,27,100.00 |
| वास्तविक बिक्री | ₹1,14,58,104.00 |
| कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री | ₹1,06,22,883.00 |
| छुपी बिक्री (अन्तर) | ₹8,35,221.00 |

इस छुपी बिक्री (अन्तर) पर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹112755(8,35,221X13.5) कर अनारोपित रह गया।

सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी । अत; अनारोपित कर ₹1.13 **लाख** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में **लाया जाता है।**

**<u>भाग-2 (ख)</u>**

**प्रस्तर-4 कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ` 0.61 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) मे यह प्रावधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गई है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), खंड-01 राज्य कर खटीमा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री दिलबाग मोटर्स खटीमा टिन सं 05002648998 कर निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 मे प्रांतीय टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर कम्पोनेंट एवं पार्ट्स आदि पर 5 प्रतिशत की दर से कर स्वीकार किया गया है जबकि उक्त वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर कर देय है। उक्त विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0सं0 | कर निर्धारण वर्ष | कुल बिक्री | स्वीकार किया गया कर (5%) | देय कर (13.5%) | अंतरीय कर |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2013-14 | 1,99,251 | 9,962 | 26,899 | 16,937 |
| 02 | 2014-15 | 2,56,496 | 12,824 | 34,627 | 21,802 |
| 03 | 2015-16 | 2,65,275 | 13,263 | 35,812 | 22,549 |
| | | | | **योग** | **61,289** |

उपरोक्त विवरण के अनुसार व्यापारी पर ` 61,289 का कर आरोपणीय है एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

**भाग दो (ब)**

**प्रस्तर-5 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 0.61 लाख**

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गयें प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

सहायक आयुक्त (क0नि), खण्ड-I, राज्य कर, खटीमा के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री पूर्णागिरि इंटर प्राइजेज़ खटीमा टिन सं0 05002708071 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे फार्म-IV के अनुसार प्रांत के बाहर से टिंबर की खरीद `18,19,120 की घोषित की गयी थी एवं जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुये कर का निर्धारण किया गया था । जबकि संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा दाखिल फॉर्म-16 सूची के अनुसार कुल `22,71,697 की प्लायवुड की खरीद की गयी थी। इस प्रकार कुल `4,52,577 (`22,71,697 - `18,19,120) की खरीद को दर्शाया नहीं गया था। अतः उक्त को बिक्री मानते हुये ` 61,098 (`4,52,577 x 13.5%) का कर व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही करके अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया। अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग–दो "ब"

**प्रस्तर. 6 ;– कम दर से समाधान राशि के निर्धारण के कारण राजस्व क्षति ₹60,091**

सहायक आयुक्त(क0नि0)–1,राज्यकर, खटीमा के माह 04/2015 से माह 03/2018 तक के अभिलेखों के अनुसार सर्वश्री उत्तरॉचल कन्सट्रक्सन खटीमा एक सिविल संविदा कार के रुप में पंजीकृत है। कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के करनिर्धारण वाद को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2006 की धारा 7(2) के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुसार भुगतान की धनराशि ₹58,72,776.00 पर दो प्रतिशत की दर से ₹1,17,455.00 समाधान राशि निर्धारित की गयी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330/2012/14/ XXVII (8)06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627/2012/14/ XXVII (8) 06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे।

उक्त के आलोक में पत्रावली की जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित संविदायें वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित थी जिन पर चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारित की जानी थी किन्तु दो प्रतिशत की दर से समाधान राशि निर्धारित करने के कारण कम ली गयी समाधान राशि अधोलिखित है ;–

| क्र. सं0 | संविदा संख्या तथा तिथि | भुगतान की धनराशि | निर्धारित समाधान राशि चार प्रतिशत की दर से | ली गयी समाधान राशि दो प्रतिशत की दर से | दो प्रतिशत की दर से कम ली गयी समाधान राशि रुपये में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20/EE/12-3-13 | 653078.00 | 26123.00 | 13062.00 | 13061.00 |
| 2. | 21/EE/2-3-13 | 668263.00 | 26730.00 | 13365.00 | 13365.00 |
| 3. | 20/EE/2-3-13 | 621522.00 | 24860.00 | 12430.00 | 12430.00 |
| 4. | 21/EE/2-3-13 | 550198.00 | 22008.00 | 11004.00 | 11004.00 |
| 5. | 20/EE/2-3-13 | 223319.00 | 8932.00 | 4466.00 | 4466.00 |
| 6. | 21/EE/2-3-13 | 288260.00 | 11530.00 | 5765.00 | 5765.00 |
| | | | | योग | 60091.00 |

उपरोक्तानुसार कम निर्धारित की गयी समाधान राशि ₹60091.00 के संबन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अत कम निर्धारित समाधान राशि ₹60091 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग दो ब**

**प्रस्तर-07 शर्तो के अनुसार स्वतः कर निर्धारण न किए जाने से राजस्व क्षति।**

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना 282/xxxvi (3)/2017/ 41(1)/ 2017 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25-क मे संशोधन करते हुये स्वतः कर निर्धारण किए जाने का प्रावधान निम्नलिखित शर्तो के अधीन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे मामले, जिनमे केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 मे विनिर्दिष्ट प्रविधानों के अंतर्गत कोई कर मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, मे वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावो के समर्थन मे संबन्धित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा प्रमाण पत्र अथवा साक्ष्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिये गये हो। परंतु यह कि आयरन स्टील, खाद्य तेल, सीमेंट, मेंथा उत्पाद, पान मसाला, मार्बल स्टोन, सिरेमिक टाइल्स के ट्रेडर्स या विनिर्माताओ तथा ईट, रेत बजरी बोल्डर्स, आर बी एम, ग्रिट, क्रस्ड स्टोन, स्टोन ब्लास्ट, गिट्टी, कंकड़, स्टोन डस्ट मे संव्यवहार करने वाले व्यापारी तथा दस हजार रुपए से अधिक रिफ़ंड का दावा करने वाले व्यापारियो को स्वतः निर्धारण से बाहर रखा गया है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0) खंड-01 खटीमा के अभिलेखो कि नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारियो के स्वतः कर निर्धारण आदेश में कमियां पायी गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0सं0 | व्यापारी का नाम | कर निर्धारण वर्ष | वस्तु | कुल बिक्री | स्वीकार किया गया कर | देय कर (05*कर की दर ) | जमा किया गया कर | अंतरीय कर (07-09) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01 | M/s खूबसूरत गारमेंट(05002693618) | 2015-16 | रेडीमेड गारमेंट | 39,88,147 | 30017 | 1,99,407 (05x5%) | 27,883 (ITC) | 1,71,524 |
| 02 | निखिल पेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल (05002703706) | 2015-16 | सीमेंट, हार्डवेयर आदि | 95,58,603 | 12,47,260 | -- | 10,71,019 (ITC) | 1,76,241 |
| 03 | ओली इंटरप्राइजेज़ (05006406972) | 2015-16 | NA | 1,58,35,565 | 20,05,618 | -- | 6,98,867 (ITC) | 13,06,753 |
| 04 | तुसार सेल्स क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट (05002751915) | 2015-16 | रेल्वे लोको | 26,18,295 | 3,50,932 | -- | 1,25,581 (ITC) | 2,25,351 |
| 05 | मौर्य इलेक्ट्रोनिक (05002697207) | 2014-15 | मशीनरी पार्ट्स | 55,48,177 | 7,45,417 | --- | 5,46,131 (ITC) | 1,99,286 |
| 06 | रामा टिंबर (05002719808) | 2014-15 | फ्युल वूड | 50,17,843 | 21,657 | --- | --- | 21,657 |
| योग | | | | | | | | 21,00,810 |

1- उपरोक्त विवरण के क्रम संख्या 02 पर सीमेंट बिक्री के संबंध मे स्वतः कर निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।

2- क्रम संख्या 06 मे केंद्रीय बिक्री के संबंध मे फार्म-सी संलग्न नहीं है। अतः इसका लाभ देय नहीं था।

3- उपरोक्त व्यापारियो द्वारा दावा किए गए आई टी सी के संबंध मे भी कोई साक्ष्य संलग्न नहीं था ।

4- उपरोक्त व्यापारियो द्वारा स्वीकृत कर के संबंध मे आई टी सी समायोजित किए जाने के बाद अवशेष कर जमा कराये जाने (चालान आदि) का अंकन डीलर इन्फॉर्मेशन मे अंकन नहीं किया है।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बिन्दुवार अवगत कराया गया कि चूंकि सीमेन्ट का व्यापार नही है आंशिक रूप से सीमेन्ट का व्यापारी है अत: स्वत: ये कर निर्धारण किया गया है। फार्म सी के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी। आई टी.सी का विवरण आनलाइन दाखिल है जिसका मिलान किया जायेगा। जांच कर चालान या आनलाइन जमा ITC का समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

विभाग का उत्तर बिन्दु संख्या-01 के सम्बन्ध में मान्य नहीं था क्योकि शासनादेश की शर्त में यह उल्लेख नहीं है कि यदि आंशिक रूप से सीमेन्ट का व्यापार किया जा रहा है तो भी स्वत: में कर निर्धारण कर दिया जायेगा। अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

# STAN

**प्रस्तर- 01 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 0.12 लाख ।**

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) मे यह प्रावधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे करदेयता 5% की दर से निर्धारित की गई है।
पुनः धारा 34(4) के अनुसार, स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-प्रथम, राज्य कर, खटीमा (ऊधम सिंह नगर) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सिद्धिविनायक टैक्सटाईल्स, टनकपुर रोड, खटीमा (टिन नं0 05007758958) की कर निर्धारण वर्ष 2014-15 की पत्रावली/कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.03.2017 की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा 57 फार्म 16 का प्रयोग कर उक्त अवधि में ` 82,04,133 का रेडिमेड गारमेन्ट्स एवं हौजरी आदि की खरीद प्रान्त बाहर से किया गया है । जबकि पत्रावली में संलग्न फार्म-16 के योग करने पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा उक्त अवधि में 60 फार्म 16 का प्रयोग कर ` 84,48,622 का रेडिमेड गारमेन्ट्स एवं हौजरी आदि की प्रान्त बाहर से खरीद की गयी है । इस प्रकार, ` 2,44,489 (अर्थात् ` 84,48,622 - ` 82,04,133) की अघोषित रेडिमेड गारमेन्ट्स एवं हौजरी आदि की बिक्री पर 5% की दर से ` 12,224 कर आरोपणीय है, जिस कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया गया ।

साथ ही, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34(4) के अनुसार, उक्त धनराशि पर दिनांक 01.10.2014 से जमा करने की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी । यह भी अवगत कराना है कि ऑनलाईन जांचोपरान्त व्यापारी द्वारा कुल 57 आयात घोषणापत्रों का ही प्रयोग किया गया है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## भाग-III

**राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या | सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| CT-17/2013-14 | - | 01,02,03,04 | |
| CT-13/2015-16 | 01 | 01,02,03,04,05 | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या भाग-2 अ | प्रस्तर संख्या भाग-2 ब | अनुपालन आख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।**

## <u>भाग-IV</u>

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

**(1)** राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**(2)** व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

**भाग-V**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड- प्रथम, खटीमा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री जी.एस. भर्तीलिया | डि.कमि. 01.04.15 से 31.12.17 तक |
| 2 | श्री अनिल कुमार सिन्हा | डि.कमि. 01.01.18 से 30.06.18 तक |
| 3 | श्री आशीष कुमार ठाकुर | डि.कमि. 01.07.18 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड- प्रथम, खटीमा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र**